



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 01/02/2016

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-03/201570..... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित उन प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित है, जिनका निर्वाचन देय है एवं जिनका निर्वाचन कोरम के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सका है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 09.03.2016 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 1215 दिनांक 31.12.2015 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.11.2015 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 28.01.2016 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 08.02.2016 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से दिनांक 08.02.2016 को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई० 1) में किया जायेगा।

जिन प्राथमिक कृषि साख समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 70

पटना/ दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 70

पटना/ दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित नोडल पदाधिकारी (पैक्स चुनाव)/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव, 2014 की भाँति इस चुनाव में भी अपने स्तर से पर्यवेक्षकों (Observers) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 70

पटना/ दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 70

पटना/ दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 70

पटना/ दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

निर्वाचन क्षेत्र पैक्स की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड	पैक्स का नाम
1	पटना	दानापुर	चकतुल्ला गजाधर चक पैक्स दानापुर
2	पटना	दानापुर	सगुना सुल्तानपुर पैक्स
3	दरभंगा	घनश्यामपुर	पाली पैक्स
4	दरभंगा	घनश्यामपुर	बुदैभ इनायतपुर पैक्स
5	दरभंगा	केवटी	पैगम्बरपुर पैक्स
6	दरभंगा	केवटी	सरजापुर पैक्स
7	दरभंगा	केवटी	दिघियार पैक्स
8	दरभंगा	केवटी	लडारी पैक्स
9	दरभंगा	बेनीपुर	रमौली पैक्स
10	दरभंगा	मनीगाछी	रागोपुर दक्षिण
11	मधुबनी	झंझारपुर	रैयाम पैक्स
12	मधुबनी	रहिका	ककरौल प0 पैक्स
13	समस्तीपुर	पूसा	मुरसंड पैक्स
14	समस्तीपुर	ताजपुर	शाहपुर बघौनी पैक्स
15	सारण	दिघवारा	झौवां पैक्स
16	सारण	दरियापुर	मगरपाल पैक्स
17	प0 चम्पारण	बगहा 2	बकुली पचगावा पैक्स
18	प0 चम्पारण	बगहा 2	नरवल बरवल पैक्स
19	प0 चम्पारण	बगहा 2	यमुनापुर अडवलिया पैक्स
20	प0 चम्पारण	बगहा 2	नयागांव रामपुरवा पैक्स
21	प0 चम्पारण	बगहा 2	महुअवा कटहरवा पैक्स
22	प0 चम्पारण	बगहा 2	बलुआ छतरौल पैक्स
23	प0 चम्पारण	बगहा 2	जिमरी नौतनवा पैक्स
24	प0 चम्पारण	बगहा 2	ढोलबजवा लक्ष्मीपुर पैक्स
25	बेगूसराय	बेगूसराय	पसपुरा पैक्स
26	बेगूसराय	बरौनी	मल्हीपुर दक्षिण पैक्स
27	बेगूसराय	बरौनी	गडहरा 01 पैक्स
28	जमुई	बरहट	बरहट पैक्स
29	जमुई	सोनो	केशो फरका पैक्स
30	मुंगेर	सदर मुंगेर	कटरिया पैक्स
31	मुंगेर	तारापुर	रामपुर बिशय पैक्स
32	मुंगेर	तारापुर	परभारा पैक्स
33	मुंगेर	तारापुर	तारापुर पैक्स
34	मुंगेर	तारापुर	बेलाडीह पैक्स

35	बांका	कटोरिया	बसमत्ता पैक्स
36	बांका	कटोरिया	मनीया पैक्स
37	बांका	चांदन	बोरा सूर्यया पैक्स
38	बांका	फुल्लीडुमर	पथड्डा पैक्स
39	भागलपुर	कहलगांव	भोलसर पैक्स
40	भागलपुर	जगदीशपुर	पुरैनी उत्तरी पैक्स
41	भागलपुर	नाथनगर	मनोहरपुर पैक्स
42	भागलपुर	नाथनगर	केलापुर कजरेली पैक्स
43	भागलपुर	सुलतानगंज	अबजगंज पैक्स
44	नवादा	अकबरपुर	कुलना पैक्स
45	कैमूर	कुदरा	बहेरा पैक्स

**अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	08.02.2016 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	23.02.2016 (मंगलवार) एवं 24.02.2016 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	25.02.2016 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	26.02.2016 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	09.03.2016 (बुधवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	09.03.2016 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)